(3)

न्यायालय नायब तहसीलदार, टप्पा सुल्तानगंज, तहसील बेगमगंज जिला रायसेन (म0प्र0)
रा. प्र. क. 0450/अ–6/2024–25

अरविन्द कुमार अहिरवार पिता बैजनाथ अहिरवार (वनक्षेत्रपाल) वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जिला रायसेन (म0प्र0)।

आवेदक/केता

विरूद्ध

मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड अहमदाबाद अधिकृत व्यक्ति का नाम राजकिशोर सिंह पता स्थानीय कार्यालय ग्राम झालरी ब्लाक थिरौली तहसील सरई सिंगरौली म0प्र0।

अनावेदक/विकेता

:: आदेश :: पारित दिनाक 23-12.2024

(म0प्र0 भू0रा0स0 1959 की धारा 109-110)

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि आवेदक/केता अरविन्द कुमार अहिरवार पिता बैजनाथ अहिरवार (वनक्षेत्रपाल) वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जिला रायसेन (म0प्र0) के द्वारा आवेदन पत्र मय ई पंजीकृत विलेख की छायाप्रति, खसरा की प्रति प्रस्तुत कर, संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अनावेदक/विकेता से कय कर अपने नाम पर नामातंरण किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण मद अ–6 में दर्ज किया गया, प्रकरण में इश्तहार जारी किया गया, जो कि प्रकरण में संलग्न है। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया।

प्रकरण में विकय विलेख पंजीकरण संख्या MP292652024A11346234 दिनांक 22.11.2024 की प्रति संलग्न है। मुताबिक उक्त प्रति केता द्वारा विकेता से ग्राम चेनपुरा मुंजप्ता स्थित भूमि सर्वे कमांक 120/2, 120/1/1/1/3 कुल खसरे दो का कुल रकवा 9.893 हे0 उक्त भूमि वन विभाग म0प्र0 शासन को क्षति पूर्ति निवारण हेतु हस्तांतरण की जा रही है कय किया जाना स्पष्ट हो रहा है। प्रकरण में हल्का पटवारी का प्रतिवेदन संलग्न है। मुताबिक उक्त प्रति हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा विकय पत्र के माध्यम से आवेदित भूमि कय किया जाना एवं उक्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में विकेता के नाम दर्ज होना तथा बैंक में बंधक न होना एवं शासकीय पट्टे से प्राप्त नहीं होना तथा विवाद ग्रस्त न होना उल्लेखित है। उपरोक्तानुसार प्रकरण में आये तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है, कि आवेदक द्वारा आवेदित भूमि पंजीकृत विकय विलेख के माध्यम से कय की है।

अतः पंजीकृत विकय विलेख संपादित होने, इश्तहार प्रकाशन उपरांत कोई आक्षेप न होने एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के प्रावधांनों के आधार पर ग्राम चेनपुरा मुंजप्ता स्थित भूमि सर्वे कमांक 120/2, 120/1/1/1/3 कुल खसरे दो का कुल रकवा 9.893 हे0 आवेदक/केता अरविन्द कुमार अहिरवार पिता बैजनाथ अहिरवार (वनक्षेत्रपाल) वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जिला रायसेन (म0प्र0) के नाम नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही साथ हल्का पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट भी स्वीकार की जाती है। प्रवाचक आदेशानुसार हल्का पटवारी से अभिलेख अद्यतन कराये। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। अद्यतन उपरांत खसरा की एक प्रति प्रकरण में संलग्न हो। वाद कार्यवाही पूर्ण प्रकरण दायरा पंजी से पृथक कर संचित अभिलेखागार हो।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
टप्पा सुल्तानगंज
23-12-2024

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चेनपुरा मुंजप्ता			पटवारी हल्का:पन्दरभटा			तहसील:बेगमगंज			जिला:रायसेन		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1546076406 81F274DBK8B5H0	120/1/1/1/3 (S)		4.7930 हेक्टेयर	अरविन्द कुमार अहिरवार पुत्र बैजनाथ अहिरवार पता वन परिक्षेत्र अधिकरी सामान्य	1						न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0001/अ-6/2022-23, आदेश दि. 26/04/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | न्यायालय नायब तहसीलदार के

			 कृषि रु.5.98	वनमंडल जिला रायसेन रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय							प्रकरण क्र. 0165/अ-27/2022-23, आदेश दि. 30/11/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। खसरा क्रं. 120/1/1/1/3 को दस्तावेज क्रं. MP292652023A11813634 दिनांक 09-MAY-23 से मेसर्स स्ट्राटाटे मिनरल रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया। न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0058/अ-6/2023-24, आदेश दि. 07/12/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। खसरा क्रं. 120/2,120/1/1/1/3 को दस्तावेज क्रं. MP292652024A11346234 दिनांक 22-NOV-24 से को विक्रय किया गया। न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0450/अ-6/2024-25, आदेश दि. 23/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। जरिये न्यायालय नायब तह0 महो0 सुलतानगंज के राप्रक्र 35/अ-27/2014-15 पर पारित आदेश दिनॉक□20/05/2015 के अनुसार प्रविष्टी दर्ज की गई । जरिये नापॅजी क्रमॉक 04 पर पारित आदेश दिनॉक 20/05/2015 के□अनुसार दर्ज ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चेनपुरा मुंजप्ता			पटवारी हल्का:पन्दरभटा			तहसील: बेगमगंज			जिला:रायसेन			वर्ष: 2024-2025		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/ पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्यौरे शामिल हो (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देय राशि	अभि युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	अरविन्द कुमार अहिरवार पुत्र बैजनाथ अहिरवार जाति अहिरवार		120/2 (S) 5.1000 हेक्टेयर	कृषि	6.26		कुल भू-राजस्व	6.26	71.60		80.99	9.39051/	71.60	

	पता वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य वनमंडल जिला रायसेन रायसेन मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय						पंचायत उपकर	3.13				9999999/0029/04/24/098371 26-APR-24 shubham bhalavi		
							शाला उपकर	0.00						
			कुल क्षे. 5.1000 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 6.26		वाणिज्य कर	0.00						
							प्रीमियम	0.00						
							शास्ति	0.00						
							योग	9.39						

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट